



दिनांक 06.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति 418 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 02 लाख रुपये कीमत की चोरी के पीली-सफेद धातु के आभूषण
- चोरी के 19 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक 06.08.2026 को थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विलायत नगर बम्बे के पास से अभियुक्त चिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख रुपये कीमत की चोरी के पीली-सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 19 हजार रुपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.07.2026 को थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रुपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-चिन्टू निवासी ग्राम नूरपुर की मढैया थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-लगभग 02 लाख रुपये कीमत की चोरी के पीली-सफेद धातु के आभूषण।

2-चोरी के 19 हजार रुपये नगद।

~2~
जनपद बरेली/थाना बहेड़ी

● चोरी की घटना का अनावरण

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी के 07 लाख 50 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक 06.08.2026 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भुडिया कॉलोनी से कठंगरी को जाने वाले रास्ते, पाईप फैक्ट्री के पास से 02 अभियुक्तों 1—सुजीत 2—मनोज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 लाख 50 हजार रुपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.07.2026 को थाना बहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुजीत निवासी भुडिया कॉलोनी थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

2—मनोज निवासी सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1—चोरी के 07 लाख 50 हजार रुपये नगद।

➤ जनपद बलिया/थाना सहतवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 91—91 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना सहतवार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/302/149/307/323/324/325/506(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—शुक्ला उर्फ शुकुल 2— लक्ष्मण 3— शिवमुनि 4— छट्ठू 5— अरविन्द 6— शिव

7—जीतन 8—जवाहिर 9—मंगरू को आजीवन कारावास व 91—91 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को० अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 06 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना को० अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मो० असलम को आजीवन कारावास व 06 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
